प्राक्कथन

यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह रिपोर्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों के प्रशासकीय कार्यकलाप के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती है। इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित किये गये है जो 2009 से 2014 की अवधि में लेखापरीक्षा में देखे गये थे तथा साथ ही वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये; मार्च 2014 की अवधि के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।